

RRHo. 801  
19-7-2011

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प. 18(1)साप्र/2/11

जयपुर, दिनांक : 11.7.2011

:- आदेश :-

श्री सतीश चन्द्र शर्मा, कनिष्ठ लिपिक, कार्यालय मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग जयपुर को उनकी पंचम श्रेणी की वरियता संख्या 31/05 एवं सेवा निवृत्ति दिनांक 31.12.2027 के आधार पर इस विभाग के आदेश दिनांक 08.6.11 के द्वारा उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर आवंटित आवास संख्या 5/142 गाँधीनगर के स्थान पर राजकीय आवास संख्या 5/सी/19 गाँधीनगर, जयपुर पूर्व शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन/परिवर्तन किया जाता है। श्री शर्मा से कॉमन सुविधा शुल्क के पेटे राशि रूपये 75/- प्रतिमाह वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा होंगे।

आज्ञा से,

( मनफूल बैरवा )  
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर।
4. क्रोधाधिकारी, जयपुर शहर,, जयपुर।
5. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल, योजना भवन, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
6. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0/जन स्वा0 अभि0 वि0/जयपुर वि0वि0निगम लि0, गाँधीनगर, जयपुर।
7. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गाँधीनगर, जयपुर।
8. संबंधित कार्मिक को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का तत्काल कब्जा लेकर पूर्व में आवंटित आवास को 15 दिवस में रिक्त करने का श्रम करावें।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
10. रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव